राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 2(11बी) आरडी/नरेगा/2005–06 जयपुर, दिनांकः–

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

15 SEP 2009

विषयः– राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत अनुबंध पर नियोजित कार्मिकों के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक पीएस/ग्रावि एवं पं.रा./08 दिनांक 01.10.08 पत्र का अवलोकन करें, जिसमें नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित विभिन्न कार्मिकों के कार्य के मूल्यांकन का आधार प्रेषित किया गया था, परन्तु विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि संविदा पर नियोजित विभिन्न कार्मिकों की अनुबंध अवधि बढ़ाने की कार्यवाही उक्त पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन के आधार पर नहीं की जा रही है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.01.07 जिसके आधार पर अनुबंध किया जा रहा है, के बिन्दु संख्या–6 (i) में प्रावधान है कि संविदा पर नियोजित कार्मिक के किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण (Misconduct) के आधार पर कार्मिक का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार कार्य से स्वयं की इच्छा अथवा अप्राधिकृत रूप 7 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

समाचार पत्रों के माध्यम एवं विभाग को प्राप्त ज्ञापनों से भी यह स्पष्ट होता है कि संविदा पर अनुबंध के आधार पर नियोजित कार्मिक विभिन्न कारणों से कलमबद्ध हड़ताल अथवा प्रदर्शन करते हैं, जो कि ना केवल एक अनुचित व्यवहार है, बल्कि कार्य में बाधा भी उत्पन्न करता है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के कार्मिकों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही संपादित करावें ताकि योजना के कियान्वयन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो।

उपयुक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत) 11/9
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस